

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

रीडर/2024/6382

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 26-11-2024

1 धाराराम पुत्र अखाराम
जाति कुम्हार निवासी
ईश्वरपुरा, भादरेश
तहसील व जिला बाड़मेर

1 मगाराम पुत्र अखाराम जाति जाति
कुम्हार निवासी ईश्वरपुरा, भादरेश 2
तनसिंह पुत्र करणीदान जाति वारण
निवासी भादरेश गांधव 3 पैलादराम पुत्र
पुरखाराम जाति कुम्हार निवासी ईश्वरपुरा,
भादरेश तहसील व जिला बाड़मेर


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 328/2024

दिनांक-

आदेश

11/11/24

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा कमोईपुरा पटवार हल्का भादरेश तहसील व जिला बाड़मेर के
खेत खसरा संख्या 235/175 रकबा 3.5369 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित
करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है।
उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित
करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने
बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ
रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,


बाड़मेर

दिनांक- 26-11-2024

क्रमांक :- रीडर/2024/6383-86

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भादरेश तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी धाराराम पुत्र अखाराम जाति कुम्हार निवासी ईश्वरपुरा, भादरेश तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थी मगाराम पुत्र अखाराम वगैराह जाति जाति कुम्हार निवासी ईश्वरपुरा, भादरेश तहसील व जिला बाड़मेर


उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर